जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 83/2016 अनवानी नेकमोहम्मद पुत्र सोहनेखां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना हाल ढाबा झलार तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–मम्मे खां पुत्र गुलाम खां जाति मुसलमान निवासी ठुकराना हाल वार्ड न0 6 पीलीबंगा जिला हनुमानगढ 2–शेरू पुत्र सोहने खां 3–शरीफा पत्नि सोहने खां 4–एसडीएम सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A3

18.09.2017

प्रार्थी के अभिभाषक श्री काशीराम रणवा उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री रामनिवास बिश्नोई व श्री जीतपाल सिंह सैनी उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषकगण का कथन है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित प्रकरण सं0 /2016 अनवानी सरकार बनाम मम्मे खां व नेकमोहम्मद आदि धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किया था। अब चूंकि पीठासीन अधिकारी श्री बनवारीलाल, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसे इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक का कथन है कि यदि उक्त प्रा0 पत्र पीठासीन अधिकारी के स्थानान्तरण होने के आधार पर खारिज किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है।

मैने उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ के न्यायालय में लंबित अनवानी प्रकरण सरकार बनाम मम्मे खां व नेकमोहम्मद आदि धारा 145 सी.आर.पी.सी. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के आधार पर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के लिए यह प्रा0 पत्र प्रस्तुत किया गया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ श्री बनवारीलाल का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है। पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा भी पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण प्रा0 पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति जाहिर नही की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1768
29-9-17

यह आदेश आज दिनांक 18.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर